प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 87 /2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का 4) जारी किया।

नई दिल्ली, 14 सितम्बर 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का 4) जारी किया है।

2. डीआरएम, डिजिटल मीडिया के लिए कॉपीराइट सुरक्षा के लिए एक उचित दृष्टिकोण है। डीआरएम का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के अनधिकृत पुनर्वितरण को रोकना और उन तरीकों पर रोक लगाना है, जिनके द्वारा उपभोक्ता खरीदी गई सामग्री को कॉपी कर सकते हैं। डीआरएम प्रोडक्ट को व्यावसायिक रूप से बेची गई सामग्री की ऑनलाइन चोरी में तेज वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था, जो सहकर्मी से सहकर्मी फ़ाइल विनिमय कार्यक्रमों के व्यापक उपयोग के माध्यम से विकसित हुआ था। आमतौर पर, डीआरएम को कोड लगा के लागू किया जाता है जो कॉपी करने से रोकता है, एक समय अवधि निर्दिष्ट करता है जिसमें सामग्री को एक्सेस किया जा सकता है या मीडिया पर स्थापित किए जा सकने वाले उपकरणों की संख्या को सीमित करता है।

3. भादूविप्रा ने 03.03.2017 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमन, 2017 को अधिसूचित किया [इसके बाद इसे इंटरकनेक्शन विनियम कहा जाएगा] ।

4. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल [यहाँ पर इसे ऑडिट मैनुअल के रूप में संदर्भित] तैयार करने के लिए किए गए परामर्श के दौरान, कुछ टिप्पणियों और प्रेक्षणों में इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III के कुछ मुद्दों को उठाया गया था।

5. तदनुसार, ड्राफ्ट टेलीकम्यूनिकेशन (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (संशोधन) विनियम 2019 को 27.08.2019 को जारी किया गया था जिसमें जिसमें डिजिटल राइट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

6. इंटरकनेक्शन विनियम की अनुसूची-III डीआरएम आधारित सिस्टम की अपेक्षाओं/विशिष्टियों के लिए प्रावधान नहीं करती है। प्राधिकरण को ऑडिट नियमावली पर अपने परामर्श के दौरान, प्रतिक्रिया मिली कि इसके लाभ के कारण आईपीटीवी आधारित डीपीओ डीआरएम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। यह आवश्यक है कि ऑडिट के दायरे में डीआरएम आधारित नेटवर्क को शामिल करें और ऐसे ऑपरेटरों को सक्षम करने के लिए प्रावधान करें । तदनुसार, ऊपर उल्लिखित ड्राफ्ट विनियम दिनांक 27.08.2019 की अनुसूची-III में डीआरएम विशिष्टियां शामिल की गई थी।

7. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त किए। कई हितधारकों द्वारा कई संशोधन/परिवर्धन प्रस्तावित किए गए थे। इसलिए, प्राधिकरण का मत था कि डीआरएम के लिए सिस्टम अपेक्षाओं पर एक अलग परामर्श पत्र में विचार किया जाएगा। (इंटरकनेक्शन(संशोधन) विनियम, 2019 दिनांक 30.10.2019 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 34 को देखें)।

8. प्राधिकरण का विचार था कि "डिजिटल राइट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सिस्टम आवश्यकताओं" से संबंधित मुद्दे पर उद्योग हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। तदनुसार, प्राधिकरण को 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता' का मसौदा तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए, प्राधिकरण ने उद्योग हितधारकों की एक समिति का गठन किया।

9. व्यापक विचार-विमर्श के बाद, समिति ने प्राधिकरण को इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 की अनुसूची-III में शामिल करने के लिए "डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता" पर एक रिपोर्ट सौंपी।

10. तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 09.09.2022 को इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 में मसौदा संशोधन के रूप में 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों की टिप्पणियां दिनांक 07.10.2022 तक और प्रति-टिप्पणियाँ, 21.10.2022 तक आमंत्रित की गईं। हितधारकों के अनुरोध पर, टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा टिप्पणियों के लिए 18.11.2022 और प्रति-टिप्पणियों के लिए 02.12.2022 तक बढ़ा दी

गई थी । उक्त परामर्श पत्र पर इक्कीस हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं और दो हितधारकों से प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं, जिन्हें भादूविप्रा वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इसके बाद, दिनांक 24.02.2023 को एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। ओएचडी के बाद कुछ अतिरिक्त टिप्पणियाँ भी प्राप्त हुईं।

11. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया और सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इंटरकनेक्शन विनियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (डीआरएम) सिस्टम आवश्यकताओं के लिए एक नई अनुसूची X को निर्धारित किया गया है जिसमें शामिल हैं:

i. डीआरएम आवश्यकताएँ, जहाँ तक वे आईपीटीवी सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर मेनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) से संबंधित हैं

ii. सब्सक्राइबर द्वारा आईपीटीवी सेवाओं के लिए कॉन्डीशनल एक्सेस और एन्क्रिप्शन डीआरएम आवश्यकताएँ

iii. डीआरएम आवश्यकताएँ जहाँ तक वे आईपीटीवी सेवाओं के लिए फ़िंगरप्रिंटिंग से संबंधित हैं

iv. एसटीबी/युनिक उपभोक्ता सब्सक्रिप्शन से संबंधित डीआरएम आवश्यकताएँ

ख. एक सक्षम, प्रौद्योगिकी तटस्थ, हल्का विनियामक नियंत्रण, जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हुए उन्नति और तकनीकी विकास को सुविधाजनक बनाता है, समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

12. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का 4) का पूरा संस्करण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है ।

13. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से टेलीफोन नंबर: +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा